# न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

**अपील संख्या 32/2021 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2021/35)**

रिछपाल सिंह पुत्र श्री पन्ने सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सोमासी तहसील व जिला चूरू (राज.)

**अपीलान्ट**

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू

रेस्पोडेंन्ट

**उपस्थितः** 1. श्री बालकिशन शर्मा – अभिभाषक अपीलान्ट
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

**निर्णय** **दिनांकः 26–12–2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक 23.09.2021 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का अतिरिक्त झारिया ने दिनांक 22.05.2019 को तहसीलदार चूरू को रिपोर्ट पेश की, कि रिछपालसिह पुत्र पन्नेसिह जाति राजपूत निवासी सोमासी ने अपनी खातेदारी भूमि रोही सोमासी के ख. नं. 295/148 तादाादी 0.9359 हैक्टर बारानी में 30X30 वर्गफुट मे निर्माण करके होटल (ढाबा) के रूप में वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ लिया जा रहा है। तहसीलदार चूरू द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट रिछपालसिह पुत्र पन्नेसिह को नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट ने जबाब नोटिस पर अंकित किया कि वर्तमान मे हमारे खेत में जौ व गैहू की फसल काश्त कर रखी है और उक्त फसल की सिचाई बाबत टयूबैल चलाते है और वर्तमान में केवल कृषि के कार्य के लिए ही उपयोग लिया जा रहा है। जिस पर तहसीलदार चूरू ने अपने निर्णय दिनांक 09.09.2020 द्वारा उक्त भूमि को कुर्क कर अपीलान्ट को बेदखल कर भूमि कब्जे राज मे लेने का आदेश दिया। तहसीलदार के निर्णय दिनांक 09.09.2020 के

अति. संभागीय आयुक्त

विरूद्व अपीलान्ट ने जिला कलक्टर चूरू में प्रथम अपील पेश कर तहसीलदार के निर्णय दिनांक 09.09.2020 को अपास्त करने का निवेदन किया। जिस जिला कलक्टर चूरू द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.09.2021 द्वारा अपीलाधीन निर्णय की पालना दिनांक 22.12.2020 को हो जाने के कारण तहसीलदार का निर्णय दिनांक 09.09.2020 को यथावत रख दिया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट की कृषि भूमि खेत खसरा नं. 284/56 तादादी 0.1771 हैक्टेयर, खसरा नं. 294/107 तादादी 1.0623 हैक्टेयर, खसरा नं. 295/148 तादादी 0.9359 हैक्टेयर, कुल किता 03 कुल तादादी 2.1753 हैक्टेयर रोही मौजा ग्राम सोमासी में स्थित चली आ रही है, जिसके खाता संख्या 83 है। खसरा नं. 295/148 चूरू से भालेरी जाने वाली आम सड़क पर स्थित है, उक्त कृषि भूमि पर अपीलान्ट व उसके परिवारजन ढाणी बनाकर निवास कर रहे है, जिसमे विधुत कनेक्शन भी ले रखा है। झौपड़ी मे बार–बार मरम्मत के कारण अपीलान्ट ने पक्के कमरे बना लिये तथा गाय–भैस, बकरिया रखते है, जिस बाबत मिट्टी का रास्ता बना रखा है। अपीलान्ट कृषि कार्य के साथ पशुपालन का कार्य भी करता है। ढाणी को देखकर हल्का पटवारी ने होटल बनाये जाने की गलत रिपोर्ट तहसीलदार चूरू को कर दी। अपीलान्ट उक्त भूमि का अतिक्रमी नही है, बल्कि उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है। तहसीलदार चूरू द्वारा ना तो अवलोकन किया गया और ना ही व्यक्तिगत रूप से मौका देखा गया है। गलत आधार मानकर धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही चालू की गई है। प्रथम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण मे कोई साक्ष्य व सबूत नही लिये गये और ना ही प्रत्यर्थी की ओर से उक्त प्रकरण में कोई साक्ष्य व गवाही पेश की गई। प्रथम अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर दोनो अधीनस्थ न्यायालय के आदेश खारिज किया जावे।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

5. राजकीय विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील तहसीलदार चूरू के द्वारा प्रकरण सं. 25/2019 में अपीलान्ट के विरूद्व ग्राम सोमासी के खसरा नं. 295/148 तादादी 0.9359 हैक्टेयर कृषि भूमि पर बिना भूमि रूपान्तरण के व्यवसायिक उपयोग होटल (ढाबा) संचालन की पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 22.5.19 के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क के तहत आदेश पारित किये गये है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट द्वारा 30X30 वर्गफुट मे निर्माण करके होटल (ढाबा) के रूप में कृषि भूमि का उपयोग किया है, जबकि तहसीलदार चूरू के द्वारा खसरा नं. 295/148 की 0.9359 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि के लिए निर्णय पारित किया गया है जो कि युक्तिसंगत नही है। साथ ही अपने निर्णय में आदेशित किया है कि आलौच्य भूमि से तुरन्त बेदखल कर भूमि कब्जे राज ली जावे। मौके पर बैदखली एवं कुर्की कार्यवाही के पश्चात कुर्कशुदा भूमि के संबध में आगामी आदेश तक जमाबन्दी में पेंसिली नोट लगाया जावे, उक्त आदेश पूर्णत विरोधाभाषी है क्योकि आलौच्य भूमि से यहा क्या तात्पर्य है स्पष्ट नही है तथा बेदखल कर भूमि कब्जे राज ली जानी है तो फिर कुर्की की कार्यवाही तथा उसका आगामी आदेश तक पेंसिली नोट का क्या औचित्य है यह आगामी आदेश, जब पत्रावली निर्णित हो चुकी है तब किस प्रकार किन प्रावधानो के तहत जारी होने है यह भी स्पष्ट नही है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार चूरू के द्वारा निर्णय की पालना हेतु जो पत्र जारी किया गया उसमें भी खसरा नं. 295/148 की 0.9359 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि तथा पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 22.12.2020 को सम्पूर्ण कृषि भूमि के संबध मे कुर्की रिपोर्ट पेश की गई है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय विरोधाभाषी एवं Self Speaking नही होने के आधार पर

कायम रखा जाना उचित नही है। तहसीलदार चूरू के उक्त निर्णय के विरूद्व प्रथम अपील संख्या 24/2020 जिला कलक्टर चूरू मे प्रस्तुत हुई। जिला कलक्टर चूरू द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.09.2021 द्वारा तहसीलदार चूरू के निर्णय दिनांक 09.09.2020 को यथावत रखते हुए अपील खारिज की गई है जो की न्यायसंगत नही है। अतःउपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुवे अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर चूरू पारित निर्णय दिनांक 23.09.2021 एवं तहसीलदार चूरू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.09.2020 को अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार चूरू को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता हे कि प्रकरण में उभय पक्ष को सुनकर, मौका निरिक्षण कर पुनः निर्णय पारित करे।

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 26.12.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर